


तारीख
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

2/8/23

पचावली काठ पेश हुयी कबील
जागीर उपाधिकार कबील जागीर
द्वारा विजागीरों के समान उक्त
द्वारा मेजर रसीद-निर्देश पेश
की विजागीरों कदुपरिष्कार
विजागीरों को कोई समय में
नीत वार नीत-नीत माला के
दिलिए गये कबूल माला
दिलाने के विजागीर कदुपरिष्कार
नत: विजागीरों के विरुद्ध एक
तल्लु कार्रवाई की गयी है।
कबील जागीरों के पचावली
पर एक सुबे। गोरेश कल्ल
के विवादाकार सुबे न्यायालय
सुबान्त जमा। गोरेश की पालवारी
तद्वरी जारी है। पालव जाल
होके पर शीघ्र पचावली की कबील
पचावली. विरुद्ध सुभार होकर
शरिफत उपार है।


उपरिष्ठ अधिकारी मुद्रापालना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या: 88/2023

प्रार्थीगण :-

1. डालूराम पुत्र राजू
2. माना पुत्र राजू
जाति जाट निवासी कूडा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. गोगा पुत्र आदू
2. जेठी पत्नी आदू
3. बाका पुत्र आदू
4. रामा पुत्र आदू
5. डूगराराम पुत्र कोलाराम
6. रिडमलराम पुत्र कोलाराम
जाति जाट निवासी कूडा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

--: आदेश :-

दिनांक :- 02.08.2023


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गद्दी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा कूडा पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 63/36 रकबा 0.4694 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र कूडा पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 63/36 रकबा 0.4694 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...2।8।23..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी साई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

वाद / 2023 / 840

दिनांक : 21/8/23

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

डालू वगैरा

गोगा वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी


राजस्व आवेदन सं.....88 / 2023..

निर्णय दिनांक :- 02.08.2023

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम कूडा के खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 3.0513 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....गुडामालानी....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये1000/-...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 21/8/23

क्रमांक: वाद / 2023 / 841 - 42

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी
3. हल्का पटवारी....रतनपुरा.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.....डालू वगैरा
5. विप्रार्थीगण.....गोगा वगैरा....


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी